(वाद सं0– 2292/4/9/2023)

06.12.2023

परिवादी, राजकुमारी, उपस्थित है।

नोटिस दिये जाने पर श्रीमती कविता रानी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), पश्चिमी चम्पारण, बेतिया उपस्थित है।

परिवादी व जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, राजकुमारी, के ग्राम पंचायत राज–केहुनिया रोआरी, वार्ड संख्या–06 के सहायिका के पद पर सभी अहर्त्ता को पुरा किये जाने के बाद भी चयन नहीं किये जाने से सम्बन्धित है।

परिवादी का कथन है कि दिनांक–03.03.2021 को ग्राम पंचायत राज–केहुनिया रोआरी, वार्ड संख्या–06 में सेविका एवं सहायिका के पद पर नियोजन हेतु आम सभा आयोजित की गयी थी, लेकिन उस दिन आम सभा को स्थगित कर दिया गया और जाति तथा अंक पत्र का उल्लंघन कर तथा रोस्टर को छुपाते हुए मेघा सूची–1 में उल्लेखित परिवादी का चयन नहीं कर, उसके स्थान पर मेघा सूची के क्रम संख्या–2 के प्रतिमा कुमारी, का चयन कर लिया गया। परिवादी का आगे कथन है कि सहायिका के पद पर सभी अहर्त्ता पूर्ण रहने के बावजूद भी उसके मानवाधिकार का उल्लंघन कर उसका चयन नहीं कर, उसके स्थान पर मेघा सूची के क्रम संख्या–2 की प्रतिभा कुमारी, का चयन किया गया है।

उपरोक्त पर **जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया** से प्रतिवेदन की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के प्रतिवेदन व साथ अनुलग्नित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि **''प्रसंगाधीन मामले में महिला पर्यवेक्षिका द्वारा परिवादी का नाम मेघा सूची में प्रथम स्थान पर रहने के बावजूद सम्बन्धित**

महिला पर्यवेक्षिका द्वारा सहायिका पद पर परिवादी का चयन इस आधार पर नहीं किया गया कि परिवादी का नाम दो जगह मतदाता सूची में है जबकि चयन मार्गदर्शिका 2019 में चयन का आधार मतदाता सूची में नाम एवं भौतिक रूप से निवास स्थान तथा मैपिंग पंजी में नाम होना चाहिए। प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि परिवादी, सुश्री राजकुमारी, सहायिका पद के चयन हेतु सभी अहर्त्ता पूरी करती है, जिसका अनुपालन सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा नहीं किया गया है।''

अब जबकि प्रसंगाधीन मामले में स्वयं जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया द्वारा परिवादी के चयन नहीं किये जाने को गलत बताया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की जाती है:–

1.अगर परिवादी, राजकुमारी, पति–बृज किशोर चौधरी, सहायिका पद के सभी अहर्त्ता को पूरा करती है, तो परिवादी का उक्त पद के लिए तत्काल चयन किया जाय।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया को भेजते हुए इसकी एक प्रति परिवादी को भी सूचनार्थ उपलब्ध करा दिया जाय।

जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया से दिनांक–28.02.2024 के पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन की माँग की जाय।

संचिका दिनांक–05.03.2024 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>संयुक्त सचिव</u>